

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
(भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय)

रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (एनआईएफटी) में कोष निधि की स्थापना, प्रबंधन और उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनी, वित्तीय और नियामक ढांचे पर अध्ययन करने के लिए।

मूलभूत विवरण

क्रम संख्या	विवरण	सूचना
1.	संगठन का नाम:	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
2.	संगठन का प्रकार:	वैधानिक निकाय
3.	संदर्भ संख्या/फ़ाइल संख्या:	1509(62)/Acct/NIFT HO/Corres/18
4.	ईओआईका शीर्षक:	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में कोष निधि की स्थापना, प्रबंधन और उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनी, वित्तीय और नियामक ढांचे पर अध्ययन करने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति।
5.	श्रेणी:	वैधानिक निगम/वैधानिक निकाय
6.	घोषणा की तिथि:	20.02.2026
7.	आवेदन दस्तावेज़ डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू होती है	20.02.2026
8.	आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय:	16.03.2026 (3:00 PM)

9.	आवेदन खोलने की तिथि और समय	17.03.2026 (3:00 PM)
10.	प्री-बिड बैठक की तिथि	02.03.2026 2:00 PM

अस्वीकरण

यह रुचि पत्र (ईओआई) न तो कोई प्रस्ताव है और न ही कोई अनुबंध। इसे केवल पात्र फर्मों को सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। निफ्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी आवेदन को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है तथा इस संबंध में किसी प्रकार का दायित्व वहन नहीं करेगा।

ईओआई(EOI) प्रक्रिया में भाग लेने से प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी होने या कार्य आवंटित होने की गारंटी नहीं मिलती है।

परिचय

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, देश में फैशन शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है और वस्त्र, परिधान और संबद्ध उद्योगों को पेशेवर रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन प्रदान करने में अग्रणी रहा है। एनआईएफटी को 2006 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, जिसके तहत भारत के माननीय राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर हैं। एनआईएफटी की पूरे देश में उपस्थिति है और इसके 19 परिसर पूरी तरह से कार्यरत हैं।

अपने अकादमिक दायित्वों के अलावा, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) हथकरघा और हस्तशिल्प के डिजाइन विकास, स्थिरता, नीतिगत समर्थन और रणनीतिक स्थिति निर्धारण के क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक ज्ञान और कार्यान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) एक वैधानिक निकाय के रूप में एनआईएफटी पर लागू होने वाले कोष निधि की स्थापना, प्रबंधन और संचालन को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों और प्रचलित दिशानिर्देशों पर एक व्यापक अध्ययन करने का प्रस्ताव करता है।

2. ईओआई का उद्देश्य

इस रुचि निवेदन (EOI) का उद्देश्य उपरोक्त अध्ययन करने के लिए योग्य पेशेवर फर्मों की पहचान करना और उन्हें शॉर्टलिस्ट करना है। EOI प्रक्रिया केवल शॉर्टलिस्टिंग के लिए है। शॉर्टलिस्ट की गई फर्मों को विस्तृत तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अलग से प्रस्ताव निवेदन (RFP) जारी किया जाएगा।

1. कार्यक्षेत्र

चयनित फर्म एक व्यापक अध्ययन करेगी और निम्नलिखित सहित एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी:

1. एनआईएफटी अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत निर्मित अन्य प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों और अध्यादेशों के तहत निधियों के प्रबंधन और अनुप्रयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे का विश्लेषण;

2. समान स्थिति वाले सरकारी शैक्षणिक संस्थानों और वैधानिक निगमों के कोष निधि को नियंत्रित करने वाले नियमों, विनियमों और अधीनस्थ विधानों का तुलनात्मक विश्लेषण;

3. एनआईएफटी के अधिकारियों और हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर एनआईएफटी के कोष निधि के प्रबंधन और उपयोग के लिए एक व्यापक और लागू करने योग्य ढांचा/दिशानिर्देश तैयार करना, जिसमें लागू वैधानिक प्रावधानों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाए;

(i) लागू सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (समय-समय पर संशोधित) की समीक्षा, जिसमें स्वायत्त निकायों/वैधानिक निकायों पर लागू कोष निधि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं;

(ii) सरकारी शैक्षणिक संस्थानों और वैधानिक निकायों के कोष/बंदोबस्ती निधियों को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक सरकारी दिशा-निर्देशों, परिपत्रों, कार्यालय ज्ञापनों और लेखापरीक्षा सिद्धांतों की समीक्षा;

(iii) कोष निधि के सृजन के विभिन्न तरीकों का विश्लेषण, जिसमें आंतरिक संचय, अनुदान, दान और अन्य अनुमत स्रोत शामिल हैं;

(iv) कोष निधि के उपयोग और उससे प्राप्त ब्याज/आय को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की जांच;

- (v) कोष निधि के लिए निगरानी, लेखांकन और रिपोर्टिंग तंत्रों की समीक्षा;
- (vi) मौजूदा ढांचे में मौजूद कमियों, विसंगतियों और जोखिमों की पहचान;
- (vii) प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तुलना (संकेतक और सलाहकारी प्रकृति की);
- (viii) मानकीकृत और प्रभावी प्रबंधन ढांचे के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशों वाली एक रिपोर्ट का विकास;
- (ix) कोष निधि के उपयोग का सिद्धांत; आयकर प्रावधानों का अध्ययन, जिसमें कोष दान, छूट और अनुपालन आवश्यकताओं से संबंधित धाराएं शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;
- (x) लागू आयकर प्रावधानों का अध्ययन, जिसमें कोष दान, छूट और अनुपालन आवश्यकताओं से संबंधित धाराएं शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- (xi) कोष निधि के संबंध में वर्तमान में लागू कोई अन्य कानूनी औपचारिकताएं/राय;

2. पात्रता मानदंड

निम्नलिखित पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाली आवेदक फर्में निर्धारित प्रारूप में प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आवेदन (ईओआई) जमा करने के लिए पात्र होंगी। किसी भी प्रकार का संयुक्त उद्यम/फर्मों का संघ चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा।

I. पूर्व-योग्यता मानदंड:

क) आवेदक फर्म निम्नलिखित में से किसी एक में पंजीकृत होनी चाहिए:

- i. कानूनी परामर्श फर्म के मामले में - बार काउंसिल ऑफ इंडिया
- ii. चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के मामले में - इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

iii. कंपनी सेक्रेटरी फर्म के मामले में - इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया

iv. लागत एवं प्रबंधन लेखा फर्म के मामले में - इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

साझेदारी फर्मों / एलएलपी को अनुमति है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, आवेदक फर्म के पास संबंधित निकाय से वैध लाइसेंस/प्रेक्टिस प्रमाणपत्र होना चाहिए।

ख) फर्म में कम से कम तीन पूर्णकालिक साझेदार होने चाहिए।

ग) पिछले तीन लेखापरीक्षित वित्तीय वर्षों में फर्म का औसत वार्षिक कारोबार 1 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए।

घ) फर्म के पास पंजीकरण के बाद कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, जिसमें उसने सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों/सरकारी शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित में से एक या अधिक क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान की हों: कानूनी सलाहकार सेवाएं/वित्तीय नियमों का मसौदा तैयार करना/समीक्षा करना, कोष निधि या बंदोबस्ती निधि नीतियों का मसौदा तैयार करना/समीक्षा करना/आंतरिक लेखापरीक्षा/सरकारी शिक्षण संस्थानों या विश्वविद्यालयों को अनुपालन संबंधी सलाह देना।

ङ) फर्म का स्थायी कार्यालय/शाखा कार्यालय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/एनसीआर क्षेत्र में होना चाहिए। इस संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

च) फर्म के पास कार्यक्षेत्र में निर्दिष्ट कार्य को संभालने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और आंतरिक पेशेवर कर्मचारी होने चाहिए।

छ) फर्म को किसी भी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठन/सरकारी शिक्षण संस्थान द्वारा पिछले 3 वर्षों में प्रतिबंधित या ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया होना चाहिए। इस संबंध में घोषणा पत्र अनुलग्नक-1 में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार संलग्न करना होगा।

ज) फर्म एनआईएफटी की ओर से सौंपे गए कार्यों की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगी और एनआईएफटी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी जानकारी या दस्तावेज़ को किसी तीसरे पक्ष या मीडिया को प्रकट नहीं करेगी।

झ) फर्म उपरोक्त रुचि पत्र की सभी शर्तों और नियमों को पूर्णतः स्वीकार करेगी और रुचि पत्र के सभी पृष्ठों पर फर्म के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए।

II. तकनीकी मूल्यांकन और चयन प्रक्रिया:

ईओआई के जवाब में प्राप्त आवेदन, जो ऊपर उल्लिखित पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा:

केवल ऐसी फर्मों के आवेदनों पर ही आगे मूल्यांकन/अंक निर्धारण के लिए विचार किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार होगा:

क्रम संख्या	पैरामीटर	अंक
1.	साझेदारों की संख्या	<p>अधिकतम 25 अंक, निम्नलिखित अनुसार:</p> <p>i. 3 से अधिक साझेदार = 25 अंक</p> <p>ii. 3 तक साझेदार = 20 अंक</p> <p>iii. 3 से कम साझेदार = पात्र नहीं/शून्य अंक</p> <p>संबंधित दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति अनुलग्नक-2में संलग्न करें।</p>
2.	सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों/सरकारी शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों में कानूनी परामर्श सेवाओं/ कोष निधि या बंदोबस्ती निधि से संबंधित नीति निर्माण/ सरकारी शैक्षणिक संस्थानों या विश्वविद्यालयों के आंतरिक लेखापरीक्षा	<p>अधिकतम 20 अंक, निम्नलिखित अनुसार:</p> <p>i. 10 वर्ष से अधिक = 20 अंक</p> <p>ii. 10 वर्ष तक = 15 अंक</p> <p>iii. 10 वर्ष से कम = पात्र</p>

	के क्षेत्र में अनुभव की अवधि।	नहीं/शून्य अंक संबंधित दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति अनुलग्नक-3 में संलग्न करें।
3.	पिछले तीन वर्षों यानी 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान औसत वार्षिक कारोबार	अधिकतम 10 अंक, निम्नलिखित अनुसार: i. 1 करोड़ रुपये से अधिक = 10 अंक ii. 1 करोड़ रुपये तक = 5 अंक iii. 1 करोड़ रुपये से कम = पात्र नहीं/शून्य अंक बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रतियां अनुलग्नक-4 में संलग्न करें।
4.	सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों/सरकारी शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों में कानूनी परामर्श सेवाओं/ कोष निधि या बंदोबस्ती निधि से संबंधित नीति निर्माण/ सरकारी शैक्षणिक संस्थानों या विश्वविद्यालयों के आंतरिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में अनुभव।	अधिकतम 20 अंक, निम्नलिखित अनुसार: i. एक ही प्रकार के तीन से अधिक कार्य पूरे करने पर = 20 अंक ii. एक ही प्रकार के तीन तक कार्य पूरे करने पर = 15 अंक iii. तीन से कम कार्य पूरे करने पर = 10 अंक कार्य आदेश/पुरस्कार पत्र की प्रमाणित प्रतियां अनुलग्नक-5 में संलग्न करें।
5.	पेशेवर मानव संसाधन संख्या (फर्म में कार्यरत वकीलों/चार्टर्ड अकाउंटेंट/कंपनी सेक्रेटरी/कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की संख्या)	अधिकतम 15 अंक, निम्नलिखित अनुसार: i. 10 से अधिक कर्मचारी = 15 अंक ii. 5 से 10 कर्मचारी = 10 अंक iii. 5 से कम कर्मचारी = 5 अंक प्रमाणित विवरण अनुलग्नक-6 में

		संलग्न करें
6.	एनआईएफटी की नियुक्त समिति/अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुति देना।	अधिकतम 10 अंक नोट: अंक एनआईएफटी की नियुक्त समिति/अधिकारी द्वारा प्रदान किए जाएंगे

नोट:

1. न्यूनतम योग्यता अंक 100 में से 50 हैं। जो की ऊपर दिए गए टेक्निकल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में एलिजिबिलिटी के अधीन।
2. टाई होने की स्थिति में, स्थापना तिथि में पुरानी फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. प्रस्तुति का मूल्यांकन कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली, प्रासंगिक अनुभव और प्रस्तावित दृष्टिकोण की समझ के आधार पर किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया

1. यह सूचना प्रस्ताव (EOI) केवल फर्मों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए है।
2. शॉर्टलिस्ट की गई फर्मों को विस्तृत तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक अलग RFP जारी किया जाएगा।
3. अंतिम चयन RFP में (यदि और जब जारी किया जाए) निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

समय सारिणी

कार्य पूरा करने की अधिकतम समय सीमा: कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 90 दिन।

3. अन्य नियम एवं शर्तें।

1. एनआईएफटी मुख्यालय में 02.03.2026 को एक पूर्व-बोली बैठक आयोजित की जाएगी।
2. चयनित फर्म किसी अन्य फर्म या एजेंसी को कार्य उप-पट्टे पर नहीं देगी या सौंपेगी नहीं।

3. चयनित फर्म द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्ट/राय/सहायक दस्तावेज़ फर्म के अधिकृत भागीदार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहरबंद होने चाहिए।

4. कार्य आदेश में निर्दिष्ट चरणों के अनुसार, डिलिवरेबल्स की स्वीकृति पर भुगतान जारी किया जाएगा।

5. गोपनीयता संबंधी दायित्व कार्य के पूर्ण होने या समाप्त होने के बाद भी लागू रहेंगे।

6. एनआईएफटी बिना कोई कारण बताए सूचना प्रस्ताव (ईओआई) को संशोधित करने, उसमें छूट देने या उसे रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7. फर्म को सूचना के विवरण के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:

क. फर्म के पैन कार्ड की प्रति;

ख. जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति;

ग. साझेदारी विलेख/एलएलपी समझौते की प्रति;

घ. पेशेवर निकाय (आईसीएआई/आईसीएसआई/आईसीएमएआई/बार काउंसिल ऑफ इंडिया) से पंजीकरण प्रमाण पत्र;

ङ. अनुलग्नक-1 से अनुलग्नक-6 में उल्लिखित दस्तावेज़।

8. अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

9. यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो निदेशक (वित्त एवं लेखा), एनआईएफटी मुख्यालय, नई दिल्ली से संपर्क किया जा सकता है; दूरभाष क्रमांक: 011-26542031-26542010; ईमेल: director.finance@nift.ac.in

4. विवाद समाधान एवं क्षेत्राधिकार

इस सूचना प्रस्ताव या इसके बाद के किसी भी कार्य आवंटन से उत्पन्न होने वाला या उससे संबंधित कोई भी विवाद नई दिल्ली स्थित न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

प्रतिबंध न लगने संबंधी घोषणा

मैं/हम, _____ (फर्म का नाम), जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ पर स्थित है, एतद्वारा पूर्णतः पुष्टि और घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि फर्म को आज की तारीख तक किसी भी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), स्वायत्त संगठन या सरकारी शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। मैं/हम आगे घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि किसी भी सरकारी/पीएसयू/स्वायत्त संगठन/सरकारी शैक्षणिक संस्थान के समक्ष फर्म के विरुद्ध प्रतिबंधित या ब्लैकलिस्ट किए जाने से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। मैं/हम समझता/समझती हूँ/समझते हैं कि यदि उपरोक्त घोषणा किसी भी स्तर पर असत्य या गलत पाई जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के, बोली अस्वीकृत करने/अनुबंध समाप्त करने सहित, उचित समझे जाने वाली कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा/होगी।

यह घोषणा निविदा/प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सद्भावनापूर्वक दी जा रही है।

स्थान:

दिनांक:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

फर्म की मुहर: